(2)

मु.नं.–52 / 2020 GCMS ID-2020/00101 ता.रजु–18.09.2020

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

दीना मीना पुत्र श्री जयलाल मीना, ग्राम व पोस्ट–मोंगेपुरा, तहसील मण्डरायल जिला करौली – अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली – प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय

दिनांक–02.11.2020

1. पंचायत आम चुनाव 2020 एवं गुर्जर आरक्षण आंदोलन में कानून व्यवस्था के कारण अपील की सुनवाई किये जाने में विलम्ब हुआ।
2. अपीलार्थी को सुनवाई हेतु दिनांक 05.10.2020, 12.10.2020, 19.10.2020, 26.10.2020, 28.10.2020 व 02.11.2020 को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी उपस्थित नहीं।
3. प्रतिनिधि प्रत्यर्थी उपस्थित।
4. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर ग्राम पंचायत मोंगेपुरा में जीपीडीपी योजनांतर्गत किये गये कार्यों से संबंधित कुल 7 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी जिसे प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण यह प्रथम अपील पेश की है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. प्रत्यर्थी ने अपने पत्रांक–सू.अ.अ. / 2020 / 507 दिनांक 23.09.2020 से अवगत करवाया है कि अपीलार्थी का आवेदन दिनांक 18.06.2020 उनके कार्यालय में दिनांक 06.07.2020 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना का संबंध जिला परिषद, करौली से होने के कारण उनके पत्रांक–सू.अ.अ. / 300–301 दिनांक 08.07.2020 द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद करौली को अंतरित कर दिया गया जिसकी प्रतिलिपि अपीलार्थी को भी प्रेषित की गई है।
7. लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद करौली ने पत्रांक–798–799 दिनांक 28.09.2020 की प्रतिलिपि इस कार्यालय को प्रेषित कर अपीलार्थी को अपने विनिश्चय "चाही गई सूचना का संबंध कार्यालय पंचायत समिति मण्डरायल से है। अतः कार्यालय पंचायत समिति मण्डरायल में आवेदन प्रस्तुत करें" से अवगत करवा दिया गया है।
8. अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना का संबंध जिला परिषद, करौली से नहीं होने पर लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद करौली को अपीलार्थी का आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति मण्डरायल को अंतरण किया जाना चाहिये था जो उनके द्वारा नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी द्वारा उक्त विनिश्चय पर अन्यथा कोई प्रतिकार पेश नहीं किया गया और अपीलार्थी को सुनवाई हेतु बार–बार अवसर दिये जाने के उपरांत भी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुआ।
9. अस्तु अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार व रिमाण्ड की जाती है। लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, करौली को आदेश दिये जाते हैं कि वे अपने स्तर से लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति मण्डरायल को अपीलार्थी का आवेदन अंतरित कर सूचना अपीलार्थी को प्रेषित करें।
10. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
11. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
12. निर्णय आज दिनांक 02.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली